

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रपत्र— 2.2

भाग— III (सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विषेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि २२/०३/२०२२

स्थान हल्दानी।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृक्षसंरक्षण, हल्दानी।
पश्चिमी वृक्ष
उत्तराखण्ड, हल्दानी